डेढ़ साल में 300 से 1200 करोड़ हुआ राजस्व

खनन

देहरादून,विशेष संवाददाता। एक समय संदेह की नजर से देखा जाने वाला खनन विभाग अब राज्य के विकास में अहम भूमिका में आ गया। हाल में किए गए सुधार और सख्ती की वजह से डेढ़ साल की अवधि में खनन का राजस्व 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है।

शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजस्व में चार गुना बढोत्तरी खनन सेक्टर में पारदर्शी और सतत निगरानी सस्टिम का लागू करने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य का राजस्व राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजना का स्वरूप भी तय करता है।

राजस्व बढ़ने से लाभ यह हुआ है कि सरकार को विकास कार्य और आम लोगों के कल्याण की योजनाओं के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो रहा है। मालूम हो कि धामी सरकार ने सितंबर 2024 को नई खनन नीति लागू की थी। इसमें अवैध खनन, राजस्व चोरी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कुछ नवाचार किए गए। इसके तहत ई नीलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन, खनन गतिविधियों की सेटेलाइट निगरानी जैसे कई नए प्रयोग किए गए।

साथ ही पुलिस- प्रशासन को भी अवैध खनन पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए। खनन निदेशालय के एक वरष्ठि अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2024 से पहले राज्य को खनन से सर्फि 300 करोड़ रुपये तक ही सालाना राजस्व प्राप्त हो पाता था। अब यह राजस्व 1200 करोड़ रुपये के करीब आ गया है। उत्तराखंड को खनन सुधार लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हो चुका है।

इसकी वजह से केंद्र सरकार ने वत्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ह्रपूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत की है।

इन सुधारों से बदली तस्वीर

- ई नीलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन
- खनन परिवहन के लिए माइनिंग सर्विलांस सस्टिम
- खनन गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग और निरीक्षण

> सरकार ने यह सुनश्चिति किया है कि खनन पर्यावरण के मानकों के अनुसार हो। इसके लिए एक ठोस पारदर्शी तंत्र विकसित किया गया। इससे राजस्व में भी शानदार वृद्धि हुई है। **-पुष्कर सिंह धामी**, मुख्यमंत्री उत्तराखंड